



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.10.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह 03 दिवस का कारावास एवं कुल 1500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0234/22 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त वसीरुल शेख पुत्र गुलबहार शेख निवासी यादव बस्ती पहाड़ी गांव लल्लन यादव के घर मे थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 10.10.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त वसीरुल शेख उपरोक्त को अंतर्गत धारा 457,380,411 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष 02 माह 03 दिवस के कारावास एवं कुल 1500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।